

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।

पत्रांक २२७ / ३३-१

दिनांक: बांदा: जुलाई: २५, २०१८

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बांदा।

विषय -

नरैनी से कालिंजर तक सड़क के किमी० ३५.००० से ६०.८२५ तथा कालिंजर बघेलाबारी सड़क के किमी० ०.०० से १.५०० तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार है। मार्ग के दोनों तरफ अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि के साथ १९१४ बाधक वृक्षों के अवपातन का प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/25036/2017 में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा लगाई गयी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक-५३८६/११-सी-
FP/UP/Road/25036/2017 दिनांक २७.०६.२०१८

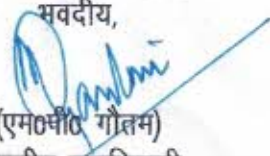
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रपोजल में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा लगाई गयी २५ बिन्दुओं की आपत्ति का निराकरण इस स्तर से कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रपोजल की ०४ प्रतियां एवं सी०डी० मूल में संलग्न कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(एम०वी० गौतम)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बांदा।